

**अधिसूचना अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947**  
(क्र 14 सन् 1947)

राज्य सरकार ने अधिसूचना सं. 4159-1884 सोलह, दिनांक 26-7-1977 (म.प्र.राजपत्र, भाग 1. दिनांक 27-1-1978, पृष्ठ 120 पर प्रकाशित) द्वारा पूर्व अधिसूचना तारीख 19-7-1976 को अधिक्रान्त करते हुए, नियम क के अधीन श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश को, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 या धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन उसके द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय या अधिकरण के प्रत्येक माध्यस्थम पंचाट की प्राप्ति की तारीख को अभिस्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत किया है ।

1. अधिसूचना सं. 5785-8023-सोलह, दिनांक 30-10-1975 म.प्र.राजपत्र, भाग 4(ग), दिनांक 231 1976 पृष्ठ 132) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. सोलह, जिनक 27-8-1971 (म.प्र. राजपत्र, भाग 4 (ग) दिनांक 3-9-1971 पृष्ठ 479) द्वारा अन्तःस्थापित।n